PBR/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/3913

माननीय राजस्व मण्डल सदस्य ग्वालियर (म.प्र.)

रामेश्वर पिता नाथु जी जाति गायरी
निवासी पिपलिया मुजावर तहसील दलौदा जिला मंदसौर---आवेदक

बनाम

गीताबाई पिता नाथु जी पति वेणीराम जाति गायरी
निवासी पिपलिया मुजावर तहसील दलौदा जिला मंदसौर ----- अनावेदक

निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स. 1959 बनाराजी अंतरिम आदेश दिनांक 12.09.2017 न्यायालय तहसीलदार तह दलौदा जिला मंदसौर के प्र.क्र. 74अ–27–2014–15 से दुखी होकर निगरानी अवधि में प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नवत निगरानी आवेदन पेश है :-

।। प्रकरण का सक्षिप्त विवरण ।।

यह कि ग्राम पिपलिया मुजावर तहसील दलौदा में प्रार्थी व विपक्षी के नाम से एक संयुक्त कृषि खाता स्थित है। जिसके बटवारा बाबत् आवेदन अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें आवेदक ने आपत्ति प्रस्तुत की गई कि भूमि डायवर्शन की होकर स्वत्व सम्बन्धी प्रशन निहीत है। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने आवेदक की बात को सुने बगेर प्रकरण में न्याय सिंदात के विपरित कार्यवाही की गई थी जिस कारण पुनः आवेदक ने पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत किये जिन्हे बिना कोई कारण बताये अधिनस्थ न्यायालय ने निरस्त कर दिये जिससे दुखी होकर निगरानी पेश करना आवश्यक हुआ है।

निरन्तर पेज 02 पर

रामेश्वर

XXIX(a)-BR(H)-11

(५४१)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/3913

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री टी.टी. गुप्ता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २४-५-१९ को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	